भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2521
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायालय के अभिलेखों का डिजिटलीकरण

2521. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में अदालती अभिलेखों के डिजिटलीकरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में अदालती अभिलेखों के डिजिटलीकरण में देरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केंद्र सरकार ने अदालती अभिलेखों का एकसमान डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रारूप निर्धारित किया है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : उच्च न्यायालय वार डिजीटाइजेशन के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर संलग्न है ।
(ख) से (घ): राष्ट्रीय ई-गर्वनेंश योजना के एक भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास हेतु ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है । इसको ई-समिति भारत का उच्चतम न्यायालय के साथ मिलकर न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । इसका ध्येय न्यायालयों को आईसीटी समर्थ बनाकर देश में न्यायिक प्रणाली को प्रवर्तित करना और न्यायिक कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों में बढ़ाना है, न्याय परिदान प्रणाली को पहुंचनीय, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना है । ई-न्यायालय परियोजना के चरण-1 को वर्ष 2011-2015 के बीच कार्यान्वित किया गया था इसका अधिकांश उद्देश्य हार्डवेयर का उपापन और प्रतिस्थापन तथा नेटवर्क संबद्धता प्रदान करना था । इस चरण के अधीन 14,249 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया । परियोजना के चरण-2 को 2015-2023 से विस्तारित किया गया और इसका फोकस ई-फाइलिंग, ई-संदाय, ई-न्यायालय मोबाइल एप, वर्चुअल न्यायालय, विडियो संगोष्ठी आदि का था । इस चरण के अधीन 18,735 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया । चरण-2 के अंत तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालय अभिलेखों के 73.45 करोड़ पृष्ठों को डिजिटाईज किया गया । चरण-1 और चरण-2 के फायदों से उत्साहित होकर ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 की योजना बनायी गई जो सभी न्यायालय परिसरों में पूर्ण रूप से कार्यशील ई-सेवा केन्द्रों,

कागज विहीन न्यायालयों के कार्यान्वयन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन शिक्षण आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की परिकल्पना करती है । भारत सरकार ने ई-न्यायालय चरण-3 के लिए 7000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत 3108 करोड़ अतिरिक्त पृष्ठों का डिजिटाईजेशन सम्मिलित है जिसके अन्तर्गत सभी विरासत अभिलेख और लम्बित मामले सम्मिलित हैं । ई-समिति भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय अभिलेखों की स्कैनिंग, भंडारण, पुनः प्राप्ति और न्यायपालिका के लिए विरासत डाटा के परिरक्षण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है । एसओपी को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति डा. डी. वाई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में 21 अक्तूबर, 2022 को ई-समिति भारत का उच्चतम न्यायालय की पूर्ण निकाय बैठक में अनुमोदित किया गया । ई-न्यायालय चरण-3 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है और व्यय वित्त समिति ने 23.02.23 को आयोजित अपनी बैठक में 7210 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण-3 का अनुमोदन कर दिया । इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में सशक्त प्रौद्योगिकी समूह ने 21.06.23 को आयोजित अपनी बैठक में ई-न्यायालय चरण-3 की मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए सिफारिश की है ।

****

<u>उपाबंध -1</u>

न्यायालय अभिलेखों का डिजिटाइजेशन से संबंधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2521 जिसका उत्तर 10/08/2023 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । न्यायालय अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की प्रगति निम्नानुसार है :-

वर्तमान डिजिटाइजेशन की उच्च न्यायालय-वार प्रास्थिति		
क्र. सं.	**उच्च न्यायालय स्थान**	**डिजिटाईज्ड पृष्ठों की कुल संख्या**
1	कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिमी बंगाल	1,22,00,000
2	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	19,68,00,000
3	दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली	17,90,00,000
4	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं
5	गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असम	2,92,17,338
6	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	75,34,000
7	गुवाहाटी उच्च न्यायालय कोहिमा पीठ	2,80,000
8	गुवाहाटी उच्च न्यायालय ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	00
9	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं
10	गुजरात उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं
11	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर	15,40,00,000
12	मेघालय उच्च न्यायाल, शिलांग	00
13	गुवाहाटी उच्च न्यायालय, आईजोल पीठ, मिजोरम	29,867
14	ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक, ओडिशा	1,22,00,000
15	सिक्किम उच्च न्यायालय, गंगटोक	6,83,861
16	मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई	50,98,000
17	तेलंगाना उच्च न्यायालय, हैदराबाद	4,01,50,753
18	उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल	1,32,00,000
19	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय	उपलब्ध नहीं
20	बॉम्बे उच्च न्यायालय	00
21	दमण और दीव उच्च न्यायालय	00
22	झारखंड उच्च न्यायालय, रांची	5,50,00,000
23	कर्नाटक उच्च न्यायालय	1,13,22,389
24	मणिपुर उच्च न्यायालय	16,40,855
25	राजस्थान उच्च न्यायालय	1,61,00,000
		73,44,57,063

****